

का पक्ष हो।

19/11/22

पत्रावली आता येरा / पत्रावली के अधिकार  
ने प्रथम पत्र नोट पेस किया तथा निवेदन  
किया कि प्रथम पत्र जरूर नोट पेस खारिज  
किया जावे। वकील प्रथम पत्र को हटा गया।  
आर. प्रथम पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT.  
Act जरूर नोट पेस खारिज किया जाता  
है। पत्रावली केसल होकर धारिकल हटा  
होगा।

NR  
PS  
[Signature]

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

आचार्यजी महाराज / जयपुर नैतिक समाज  
के अध्यक्ष / के लिए तथा है कि कनिष्ठ  
को कि \_\_\_\_\_ को भी किताब लिखना

